(घ) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के वित्तीय, संगठनात्मक और परिचालनात्मक पुनर्गठन की कार्यनीतिक योजना सुझाना।

राजस्व में अपना हिस्सा बढ़वाने के लिए राज्य सरकारों की मांग

*291. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार विभिन्न राज्य राजस्व में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग के किसी सुझाव पर आधारित इस प्रकार की कोई मांग नहीं है क्योंकि आयोग की सिफारिशें अभी तक प्रतीक्षित हैं, आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केवल 31 दिसम्बर 1999 तक प्रस्तुत की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों में धांधली तथा धोखाधड़ी के मामले

*292. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में वर्ष 1996-97 तथा 1998-99 की अवधि के दौरान, वर्ष-वार धोखाधड़ी तथा धांधली के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) इस प्रकार प्रभावित हुए बैंकों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के क्रियाकलापों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 से 1998-99 (सित० 1998 तक) धांधली के मामलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिऐ)

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई उपाए किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं:— बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक मार्गनिर्देश जारी किया जाना, धोखाधड़ी के मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा, बैंकों को विशिष्ट मामलों में अपेक्षित सुरक्षोपायों सहित उनकी पुनरावृत्ति रोकने की कार्य प्रणाली के बारे में परामर्श देना, परिचालन कार्मिकों का उचित प्रशिक्षण और प्रमुख धोखाधड़ियों के सूचित मामलों की जांच एवं संवीक्षा तथा धोखाधड़ी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अचानक निरीक्षण, जिसमें प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा आंतरिक व्यवस्था का निरीक्षण शामिल है।

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सतर्कता तंत्र है, जिसके प्रमुख केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। यह सतर्कता तंत्र निवारक उपाय करने के लिए उत्तरदायी है ताकि बैंक अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ियों और भ्रष्ट आचरण को रोका जा सके।

जब किसी बैंक द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है, तब उसकी प्रारंभिक जांच की जाती है। उसके निष्कर्षों के आधार पर, यह निर्णय लिया जाता है कि क्या विभागीय रूप से पूरी जांच की जाए अथवा मामले को स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए। सामान्यता, दस लाख रुपए से अधिक के मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाते है। आंतरिक जांच के बाद अथवा पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर बैंक, जहां कहीं आवश्यक होता है, नियमित विभागीय कार्रवाई करते है और धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों को दण्ड देते हैं। पुलिस तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी अभियोजन के लिए अदालतों में मामले दायर करते हैं।